34930
09/5/2022

दिनांक 9/5/2022

सेवा में,
श्रीमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

PIO HRD
20/5/22

विषय!- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत, अनिल कुमार जौहरी प्रभारी अधिकारी (SM) प्रोजेक्ट के खिलाफ मुकदमा सं0 176/2020, में 354, 507 धारा लगाई गई इस पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की गई या नहीं सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें!

R.T.I-20583
PIO-H.R.D
20/5/22

महोदय,
निवेदन है कि उपरोक्त विषयक सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, आपके ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में महिला उत्पीड़न सेल है समिति 2019 से वर्ष 2022 तक कितनी बार बनाई गई है कार्यालय आदेशों की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें,

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में महिला कर्मचारी कार्य कर रही हैं जबकि महिला उत्पीड़न सेल की सुविधा पहले से नहीं है। यह सूचना उपलब्ध कराये।

महिला कर्मचारी के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उच्च अधिकारी द्वारा गलत काम (यौन उत्पीड़न- छेड़छाड़) की गई जिसके बाबत अनिल कुमार जौहरी प्रोजेक्ट विभाग के सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। इनके खिलाफ मुकदमा सं0- 176/2020, में 354/507 धारा दर्ज है। प्रकरण इतना गम्भीर है फिर भी अपराधी खुला घूम रहा है कोई सजा का प्रावधान नहीं है महिला कर्मचारी के साथ गम्भीर घटना होने पर प्राधिकरण द्वारा अनिल कुमार जौहरी पर कार्यवाही की गई या नहीं अवगत कराने का कष्ट करें,

अनिल कुमार जौहरी का वर्ष 2021 में प्रमोशन किया गया जबकि मुकदमा 2020 में दर्ज हुआ यह गम्भीर अपराध इनकी सर्विस बुक में दर्ज है या नहीं, सर्विस बुक की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट

महिला कर्मचारी के साथ इतना गम्भीर अपराध- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उच्च पद पर होते हुए किया गया महिला कर्मचारी वर्ष 2019 से कार्यरत है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नजर में यह अपराध शून्य है एक महिला की इज्जत का कोई मोल नहीं है! सरकार द्वारा कोई भी ऐसा नियम नहीं कि दोषी को सजा मिल सके, प्रमोशन करके सम्मानित करने का ऐसा कौन सा नियम है उसकी प्रति उपलब्ध कराने
... में कोई law officer नहीं है जिसे कोई नियम